भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 890

दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल

890. **श्री जी. कुमार नायकः**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों में आंतरिक शिकायत समितियां गठित की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स) पर इसके प्रारंभ से अब तक इस पर वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं;

(ग) शी-बॉक्स के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों के समाधान में लगने वाले समय का ब्यौरा क्या है और सामयिक निवारण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों में, महिलाओं के बीच शी-बॉक्स की कार्यक्षमता, पहुंच और जागरूकता बढ़ाने की कोई योजनाएं हैं;

(ङ) कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा करने में शी-बॉक्स की प्रभावकारिता और परिणामों की निगरानी के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या इसके कार्यान्वयन में किसी प्रकार की चुनौती की सूचना मिली है और सरकार द्वारा इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (च): देश में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने और इससे संबंधित शिकायतों की रोकथाम एवं निवारण के लिए "महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" (एसएच अधिनियम) क्रियान्वित किया है। इस अधिनियम में सभी महिलाओं को उनकी आयु, रोजगार की स्थिति या कार्य की प्रकृति जो भी हो, चाहे वे सार्वजनिक या निजी, संगठित या असंगठित क्षेत्र में तथा ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में काम करती हों, को शामिल किया गया है। यह अधिनियम सभी कार्यस्थलों, सार्वजनिक या निजी, के नियोक्ताओं पर यौन उत्पीड़न से मुक्त एक सुरक्षित और संरक्षित कार्य माहौल प्रदान करने का दायित्व डालता है, जिसके तहत प्रत्येक नियोक्ता जहां कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या 10 से अधिक है को एक आंतरिक समिति (आईसी) का गठन करना अनिवार्य है। इसी प्रकार, उपयुक्त सरकार को दस से कम श्रमिकों वाले संगठनों से या यदि शिकायत स्वयं नियोक्ता के खिलाफ है, तो शिकायतें प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिले में स्थानीय समिति (एलसी) का गठन करने के लिए अधिकृत किया गया है। अधिनियम में मामले के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं, जिनमें नियोक्ताओं सहित अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंडात्मक प्रावधान भी शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) नोडल मंत्रालय होने के नाते, इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों को परामर्श जारी करता है और कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालाएं एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सलाह देता है।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, उपयुक्त सरकार को प्राप्त और निपटाए गए शिकायतों की संख्या का डेटा बनाए रखने का आदेश दिया गया है। अब तक, आईसी और एलसी की संख्या के साथ-साथ दर्ज और निपटाए गए शिकायतों की संख्या पर डेटा बनाए रखने के लिए कोई केंद्रीय डेटाबेस नहीं था। इसलिए, नोडल मंत्रालय होने के नाते, महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने दिनांक 29 अगस्त, 2024 को शी-बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया। हालाँकि, शिकायत पंजीकरण सुविधा 19 अक्टूबर, 2024 को चालू हो गई, जब अधिकांश केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने पोर्टल पर अपनी ऑन-बोर्डिंग पूरी कर ली थी। तब से, पोर्टल को कुल 9 शिकायतें मिली हैं । एक बार जब वे पोर्टल पर ऑन-बोर्ड हो जाते हैं तो पोर्टल को विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन स्तर के कार्यस्थलों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के कार्यस्थलों पर आईसी और एलसी के लिए केंद्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ।

शी-बॉक्स पोर्टल को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार विकसित किया गया है और इस अधिनियम के तहत जांच के लिए निर्धारित समय 90 दिन है।

*****